<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2845

17 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा काटे गए पेड़

2845. श्रीमती छाया वर्माः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के बचेली/दंतेवाड़ा क्षेत्रों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन॰एम॰डी॰सी॰) की खान संख्या 13 में सड़क निर्माण को सुगम बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की गई; और

(ख) पेड़ों को काटे जाने के बाद नए पेड़ रोपित करने की नीति का ब्यौरा क्या है तथा क्या एन॰एम॰डी॰सी॰ इस नीति का पालन कर रहा है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): वृक्षों की संख्या 25,400 है।

(ख): एफसी अधिनियम, 1980 के तहत वन मंजूरी के चरण-I और II में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए जारी शर्तों/अनुदेशों का एनएमडीसी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। डायवर्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित वनक्षेत्र से दुगुनी सीमा तक खराब वनभूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण चरण-II की मंजूरी जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर करना है और उसके बाद प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर राज्य वन विभाग के परामर्श से अनुमोदित योजना के अनुसार रख-रखाव करना है। एनएमडीसी ने प्रतिपूरक वनरोपण के लिए सीएएमपीए खाते में पहले ही 41,70,27,908 (इकतालीस करोड़ सत्तर लाख सत्ताईस हजार नौ सौ आठ रुपये मात्र) जमा करवा दिए हैं।

****